राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44)/ग्राविवि–5/पीएमएवाई/M-1/मीटिंग/2016–17 जयपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

– :: विडियों कान्फ्रेंसिंग कार्यवाही विवरण :: –

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्वीकृतियां जारी करने के सम्बन्ध में शासन सचिव, ग्रावि की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2016 को जिलों के अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), /आवास प्रभारी एवं आवास का कार्य देख रहे कार्मिकों के साथ विडीयों कॉफ्रेंसिंग आयोजित की गई।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि द्वारा योजनान्तर्गत वरीयता सूची के अपलोड करने, अपीलेट कमेटी द्वारा सत्यापन करने, पात्र लाभार्थियों का पंजीयन, निर्माण स्थल की Geo Tag फोटो अपलोड करने एवं स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में जिलों में आ रही समस्याओं एवं प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा उपरान्त शासन सचिव, महोदय द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

1. जिलों द्वारा कम प्रगति अर्जित किये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए 02.01.2017 तक वरीयता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने के कार्य पूर्ण कराने एवं उक्त अवधि में की गई प्रगति की समीक्षा हेतु पुनः दिनांक 02.01.2017 को जिलों के आवास प्रभारियों के साथ विडियों कॉफ्रेंसिंग आयोजित करने के निर्देश दिये गये।
2. अधिक लक्ष्य वाले जिलो को कार्य की अधिकता के मध्य नजर अतिरिक्त संसाधन जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर लेकर कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 3.50 लाख Geo Tagged फोटो अपलोड की जा चुकी है, इस क्रम में उनके द्वारा योजनान्तर्गत अपनाई जा रही प्रक्रिया के अध्ययन हेतु सीमावर्ती जिलों के आवास प्रभारियों का अध्ययन दल भेजा जावें।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों के पंजियन/स्वीकृति हेतु आवश्यकतानुसार जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर कार्य सम्पादित कराये जाने की दरों के प्रस्ताव जिलों द्वारा प्रेषित किये जाने के भी निर्देश प्रदान किये गये।
4. दिनांक 02.01.2017 तक जिला अपील कमेटी के स्तर से शत् प्रतिशत वरीयता सूची तैयार नहीं होने की दशा में जिला आवास प्रभारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होगें।

विडियों कॉफ्रेंसिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।
3. परियोजना निदेशक एवं पदेन सचिव (मो एवं मू) को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करवाने बाबत्00
4. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), /आवास प्रभारी जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)